

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

पं. 150] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936 [रा.ग.प.क्र.दि. सं. 146
No. 150] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936 [N.C.T.D. No. 146

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्यपाल निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 21 नवम्बर 2014

सं. 06/35/रोज0/प्रशा0/आर.आर./07/4723—यह स्वतंत्र भारत सरकार की दिनांक 21 नवम्बर 2014 के अधिसूचना संख्या 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित सचिवालय के अख्तियार 309 के परन्तुक द्वारा पदावधि समाप्त होने पर और दिनांक 20.04.1977 की अधिसूचना संख्या 2/40/75-राज-11 के अनुसार प्रकाशित पद-सूचियों की निष्पत्ति का परिष्कार करने हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के राज्य पदावधि समाप्त के पश्चात् राज्यपाल निदेशालय दिल्ली सरकार में संयुक्त निदेशक (राज्यपाल) के पद की भर्ती प्रकृति को निर्दिष्ट करने के लिए अधिसूचना संख्या 06/35/रोज0/प्रशा0/आर.आर./07/4723 के अन्तर्गत प्रकाशित है।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

1. इस विभाग का राज्यपाल निदेशालय संयुक्त निदेशक (राज्यपाल) भर्ती नियमावली, 2013 कदा न्या संख्या
2. यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान, संयुक्त निदेशक (राज्यपाल) के राज्यपाल निदेशालय संयुक्त निदेशक (राज्यपाल) के पद की भर्ती प्रकृति के अन्तर्गत (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

3. भर्ती प्रकृति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती प्रकृति, आयु सीमा, योग्यता तथा पदों की संख्या आदि के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

4. आवेग्यता :- कोई भी व्यक्ति

(अ) जिसका किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवन प्रति / पत्नी है या

(ब) जिसका जीवन किसी / जते के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है

यह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा।

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकता है।
6. बचाव :- इन नियमों में कोई भी बात इस सबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित, आयु सीमा में छूट एवं अन्य शिथिलता को प्रभावित नहीं करेगी।
7. निरस्त :- दिनांक 20.04.1977 की अधिसूचना संख्या रोज०/75 सेवा-II.

अनुसूची

रोजगार निदेशालय, दिल्ली सरकार में संयुक्त निदेशक (रोजगार) के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदा की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक (रोजगार)	2* *(2012) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है	'क' वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित सेवा	वेतन समूह -3 15600 -39100 रुपए ग्रेड वेतन रु० 6600/- रुपए	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की प्रकृति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा की जानी है तो वे ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	उपरोक्त स्थितियां जिनमें भर्ती के लिए सच. आ. आ. सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	पदोन्नति वाले प्रत्याशियों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति- उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में की गई 7 वर्ष की सेवा निहित वेतन समूह- 2 में 4600 रु० के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रु० के वेतमान वाले उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी टीप-1 जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए	'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिये) 1. सच. आ. आ. सेवा आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य- अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	प्रत्येक अदसर पर सच. लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

			<p>विचारणीय हैं। उनके कनिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून जो भी कम हो या दो वर्ष हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली है जिन्होंने कनिष्ठ अधिकारी ने अपनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली हो।</p> <p>टीप-2 प्रतिनियुक्ति /समावेशन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड प वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साइ ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस /उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित है जिसके लिये यह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी: क (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले। (2) वेतन समूह 2 में 5400 रु के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रु के वेतनमान में नियमित आधार पर इस नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में की गई पाँच वर्ष की सेवा सहित। (ख) राजगार सेवाओं में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं</p>	<p>3. निदेशक (राजगार) सचिव (राजगार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य</p>
--	--	--	--	---

			<p>होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य सगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टीप.— पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहाँ पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साइड ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है और जहाँ ये लागू उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये वह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लसमेंट) ग्रेड है।</p>		
--	--	--	--	--	--

जितेंद्र नारायण, सचिव-एव-निदेशक (संजगर)

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st November, 2014

No. F. 6 (35) /EMP. /Admn. /RRs./07/4723.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) OM No. AB. 14017/12/87-Estt. (RR), dated 18.03.1988, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the Following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Employment) in the Directorate of Employment, GNCT of Delhi.

1. **Short title and commencement.**—
- These rules may be called the Directorate of Employment, Joint Director (Employment) Recruitment Rules, 2012.
 - They shall come into force with effect from the date of their publication in Delhi Gazette.
2. **Number of Posts, Classification and scale of pay.**—The number of the said posts their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the RRs.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said RRs.
4. **Disqualifications.**—No person—
- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,
 - Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.
- Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the scheduled castes, the schedule tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR (EMPLOYMENT)

Name of Post	No. of Post	Classification	Pay band & Grade pay/ Pay scale	Whether Selection or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Educational & other Qualification reqd for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Joint Director (Employment) *(2012) subject to variation dependent on workload.	2*	GCS group a gazetted	PB-3 Rs. 15600-39100 (grade Pay-6600)	Selection	NA	NA

Whether Age & Eq prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of prob. if any	Method of rectt. Whether by Direct Rectt. or by promotion or by deputation/absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt by promotion/deputation/ Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a DPC exists What is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
NA	2 years for promotees	By promotion failing which by deputation	<u>Promotion</u> Sub-regional employment officer in the scale of pay of Rs.	Group "a" DPC (for considering promotion)	Consultation with UPSC necessary on

4618 29/1/4-2

			<p>9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 in PB-2 with 7 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Note 1 : where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service; or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : for the purpose of computing minimum qualifying service for promotion. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the pay commission.</p> <p>Deputation Officers under the Central/State Govt./UTs (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department, or (ii) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 5400 in the PB-2 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Having 3 years experience in employment services. (the departmental officers in The feeder category who are in direct line of promotion will not be Eligible for consideration for appointment on deputation similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately</p>	<p>1. Chairmen/member of UPSC -Chairman</p> <p>2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi -Member</p> <p>3. Director (Employment)/ Secretary (Employment) Govt. of NCT of Delhi -Member</p>	each occasion
--	--	--	---	--	---------------

preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for Appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).

Note : for the purpose of Appointment on deputation/Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay Structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extent only to the post(s) for which that grade pay pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

JITENDRA NARAIN, Secy.-cum-Director (Employment)